राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांकः प.3(1) प्र.सु. / अनु.–3 / 2024–07601 जयपुर, दिनांकः यथाहस्ताक्षर

आयुक्त, भू-प्रबंध व पदेन निदेशक, बन्दोबस्त, जयपुर ।

विषयः–चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती–2024 के चयनित अभ्यर्थियों के विभाग / नियुक्ति अधिकारी आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके विभाग (नियुक्ति अधिकारी) को आवंटित गैर अनुसूचित क्षेत्र के 14 अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों की सूची संलग्न कर नियुक्ति संबंधी नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों की नियुक्ति / पदस्थापन से पूर्व कृपया निम्न बिन्दुओं की पालना आवश्यक रुप से अपने स्तर पर सुनिश्चित की जावे :–

1.अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.3(2)DOP/A-II/2021Pt.1-20475 दिनांक 17.10.2024 के बिन्दु संख्या 6 में वर्णित Rule-24 (4) के अनुसार की जायेगी ।

2.अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र समुचित आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर से प्राप्त किया जावे।

3.अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों को जिस कार्यालय में नियुक्ति पत्र के अनुसार कार्यग्रहण (ज्वाईनिंग रिपोर्ट) करना हो उस कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व रहेगा कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण करने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता (Computer/typing सबंधी), आयु व अन्य किसी छूट (जैसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ओ.बी.सी. / एम.बी.सी / विकलांग आदि) के सबंध में तथा अन्य आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करके संतुष्टि कर लें कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना सही है। सभी दस्तावेजों / प्रमाण–पत्रों (उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र सहित) की सत्य प्रतियां (Certified/Self Attested Documents) आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जावें। उक्त सूची में यदि ऐसे कोई अभ्यर्थी जिनके द्वारा कूटरचित / फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर ऐसे अभ्यर्थियों की सूचना बोर्ड को प्रेषित करे। जिससे उन्हें डिबार कर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकें। अत : विभाग द्वारा कार्यग्रहण से पूर्व अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में पूर्णतः आश्वस्त होने पर ही पदस्थापन / कार्यग्रहण आदेश जारी किया जावें।

4.ओ.बी.सी. एवं एम.बी.सी. वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत जारी किया गया हो।

5.अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों के नाम / उपनाम / विवाह संबंधी शपथ पत्र / विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं संतान संबंधी शपथ–पत्र [कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा] निर्धारित प्रपत्र में पूर्ति करावें।

6.गर्भवती महिला अभ्यर्थी के लिये कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र का आवश्यकता अनुसार अनुसरण किया जावे।

7.स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन नियमानुसार अपने स्तर से करवाया जाना सुनिश्चित करें।

8.**अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों के संबंध में नियम संबंधी / स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन हेतु कार्मिक (क–2) विभाग से सीधे ही पत्र व्यवहार करें।**

9.अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों के मूल आवेदन, दस्तावेजों एवं कम्प्यूटराईज्ड Attestation form मे कमी / त्रुटि आदि पाये जाने पर सीधे ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर से पत्र व्यवहार करें।

10.नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति पत्र में कार्मिक विभाग, वित्त विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियुक्ति संबंधी सभी नियमों एवं शर्तों (Terms and Conditions of appointment) को सम्मिलित करें।

Digitally signed by RAJESH JOSHI
Designation: Deputy Secretary To Government
Date: 2026-08-12 19:59:05 IST
v-1.0

11.**नियुक्ति आदेश जारी करने के पश्चात उक्त आदेशों को संकलित कर इकजाई सूचना इस विभाग को व एक प्रति सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को भिजवायें। अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण की सूचना एवं यदि अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों द्वारा नियमानुसार नियत अवधि में कार्यग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार नियुक्ति निरस्त कर मूल आवेदन पत्र इस विभाग को लौटाए। विभाग से आरक्षित सूची हेतु अभिशंषा** (Recommendation) **प्राप्त होने के पश्चात बोर्ड स्तर पर अनेक औपचारिकता पूर्ण करनी होती है। अतः आरक्षित सूची से नाम प्राप्त करने हेतु विभाग की अनुशंषा बोर्ड के पास 6 माह की अवधि समाप्त होने के न्यूनतम 45 दिवस पूर्व अर्थात 4.5 माह के भीतर पहुँच जानी चाहिए। इस के पश्चात कार्यग्रहण नही करने वाले अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड को प्रेषित किये जाने पर आरक्षित सूची से चयन की कार्यवाही संभव नही हो पायेगी।**

12.आवंटित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के संबंध में नियुक्ति अधिकारी के स्तर से प्रथम नियुक्ति का जिला/जिले में स्थान, जैसी भी स्थिति हो, के संबंध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.3(2)DOP/A-II/2021Pt.1-20475 दिनांक 17.10.2024 के बिन्दु संख्या 6 में वर्णित Rule-24 (4) के अनुसार विभाग/नियुक्ति अधिकारी का आवंटन "Computerised Randomisation Method" से किया गया है। उक्त परिपत्र के अनुसार ही, In-person Counseling के माध्यम से प्रथम नियुक्ति का जिला/जिले में स्थान का निर्धारण अपने स्तर पर सुनिश्चित कर अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी करें।

13.जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य के निजी विश्वविद्यालय/संस्थान एवं राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी शैक्षणिक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, उनके प्रमाणीकरण की कार्यवाही संबंधित संस्थान से विभाग द्वारा नही की गई है, अतः उन डिग्रियों का सत्यापन नियुक्ति से पूर्व संबंधित संस्थान से करवाये जाने के पश्चात ही अंतिम रूप से पात्रता का निर्धारण करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये जाने है।

14.माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन एस.बी.सिविल याचिका संख्या 1905/2026, 4084/2026 एवं 18091/2025 में पारित निर्णयों की पालना में अंतिम परिणाम उक्त याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रखा गया है।

15.दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की चिकित्सीय जांच, उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी के अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं अन्य कारणों से पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रोविजनल रहे तथा अंतिम चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों के अपात्र होने की स्थिति में अंतिम परिणाम संशोधित (Reshuffle) नहीं किया जाएगा।

16.कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(04)कार्मिक/क–5/2017 पार्ट–III दिनांक 05.04.2021 के बिंदु संख्या 9 एवं 10 की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित कराई जावे–

> 9.भर्ती एजेंसी से चयन सूची प्राप्त होने के पश्चात् प्रशासनिक विभाग द्वारा सत्यापन, काउंसलिंग एवं अन्य सभी प्रक्रियाएं अविलंब पूर्ण की जाकर चयन सूची प्राप्त होने के 04 सप्ताह के अंदर आवश्यक रूप से नियुक्ति आदेश जारी किये जाऐंगे। वर्तमान समय में मेल, विभागीय वेबसाइट एवं अन्य संचार साधनों के माध्यम से सूचनाएं अविलंब चयनित अभ्यर्थी को उपलब्ध हो जाती हैं अतः नियुक्ति आदेश में कार्यग्रहण हेतु 03 सप्ताह से अधिक का समय नहीं दिया जाए।
>
> 10.नियुक्ति आदेश में दी गई कार्यग्रहण तिथि समाप्त होने के पश्चात् विभाग द्वारा 04 सप्ताह के अंदर सभी कार्यालयाध्यक्षों से कार्यग्रहण न करने वाले अभ्यर्थी की सूचना प्राप्त कर ली जाए।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें ताकि अभ्यर्थी को नियुक्ति शीघ्र मिल सके।

संलग्न –सूची

भवदीय,

(राजेश जोशी)
शासन उप सचिव

RajKaj Ref No.:
23994481

Digitally signed by RAJESH JOSHI
Designation: Deputy Secretary To Government
Date: 2026-08-12 19:59:05 IST

v-1.0

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–</u>

1.सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान जयपुर।
2.अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
3.संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4.अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव..।
5.सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6.निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर को भेजकर लेख है कि संबंधित विभागों को उन्हें आवंटित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सुपुर्द करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7.रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

RajKaj Ref No.: 23994481

Digitally signed by RAJESH JOSHI
Designation: Deputy Secretary To Government
Date: 2026-08-12 19:59:05 IST

v-1.0

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संयुक्त सीधी भर्ती–2024 के गैर अनुसूचित क्षेत्र के चयनित अभ्यर्थियों के विभाग/नियुक्ति अधिकारी आवंटन										
SLNO	RANK	ROLLNO	CandidateName	FatherName	GENDER	DOB	Category	H_CAT	Sel_Cat	Department_Name
1	38271	2044626	VISHNU KUMAR SHARMA	RAMJI LAL SHARMA	MALE	7/7/1997	EWS		EWS_ARD	आयुक्त, भू-प्रबंध व पदेन निदेशक, बन्दोबस्त, जयपुर
2	109666	2073108	ASHWANI BHOJAK	KEDARMAL BHOJAK	MALE	5/27/1998	OBC	BLV	OBC_ARD	आयुक्त, भू-प्रबंध व पदेन निदेशक, बन्दोबस्त, जयपुर
3	274569	2739589	NEHA SHARMA	MUKLESHA KUMAR SHARMA	FEMALE	8/19/1982	EWS	WID	GEN_ARD	आयुक्त, भू-प्रबंध व पदेन निदेशक, बन्दोबस्त, जयपुर
4	276969	1615368	SHARDA KUMARI	GIRDHAR VERMA	FEMALE	7/16/1997	OBC	WID	GEN_ARD	आयुक्त, भू-प्रबंध व पदेन निदेशक, बन्दोबस्त, जयपुर
5	617321	2411486	LOKESH KUMAR SHARMA	SHRI NIWAS SHARMA	MALE	1/20/1983	GEN	EXM	GEN_ARD	आयुक्त, भू-प्रबंध व पदेन निदेशक, बन्दोबस्त, जयपुर
6	617336	2629150	VIJAY SINGH CHOUDHARY	SUNDER SINGH CHOUDHARY	MALE	3/1/1985	OBC	EXM	GEN_ARD	आयुक्त, भू-प्रबंध व पदेन निदेशक, बन्दोबस्त, जयपुर
7	644783	2606232	BIRMA RAM	RUGHA RAM	MALE	7/10/1976	OBC	EXM	GEN_ARD	आयुक्त, भू-प्रबंध व पदेन निदेशक, बन्दोबस्त, जयपुर
8	679154	1790163	MANGNA RAM	GANGA RAM	MALE	6/15/1986	OBC	EXM	GEN_ARD	आयुक्त, भू-प्रबंध व पदेन निदेशक, बन्दोबस्त, जयपुर
9	698438	2108821	SUDHEER SHARMA	RAMESH CHANDRA SHARMA	MALE	12/16/1987	GEN	EXM	GEN_ARD	आयुक्त, भू-प्रबंध व पदेन निदेशक, बन्दोबस्त, जयपुर
10	785384	1797574	KAMLA CHOUDHARY	BIRMA RAM CHOUDHARY	FEMALE	6/5/1984	OBC	WID	OBC_ARD	आयुक्त, भू-प्रबंध व पदेन निदेशक, बन्दोबस्त, जयपुर
11	787711	2781046	KIRTI SAINI	JAI NARAYAN	FEMALE	1/17/1984	OBC	WID	OBC_ARD	आयुक्त, भू-प्रबंध व पदेन निदेशक, बन्दोबस्त, जयपुर
12	797371	3043656	PREETI SUMAN	GIRIRAJ PRASAD	FEMALE	10/17/1998	OBC	WID	OBC_ARD	आयुक्त, भू-प्रबंध व पदेन निदेशक, बन्दोबस्त, जयपुर
13	799395	1218504	AVANTIKA SHEKHAWAT	SURENDRA SINGH SHEKHAWAT	FEMALE	12/19/2001	EWS	WID	EWS_ARD	आयुक्त, भू-प्रबंध व पदेन निदेशक, बन्दोबस्त, जयपुर
14	1058892	3501540	ANKIT RANWA	HARDEV SINGH	MALE	6/4/1998	OBC	HI	OBC_ARD	आयुक्त, भू-प्रबंध व पदेन निदेशक, बन्दोबस्त, जयपुर

RajKaj Ref No.:
24002749

Digitally signed by RAJESH JOSHI
Designation: Deputy Secretary To Government
Date: 2026-08-12 22:22:34 IST
v-1.0